न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2012/00034

मूलचन्द पुत्र श्री रामचन्द्र जाति धाकड निवीस डंगावद तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. कालूलाल पुत्र रामचन्द्र जाति धाकड निवासी डंगावद तहसील दीगोद जिला कोटा।
2. भोली बाई पुत्री रामचन्द्र जाति धाकड निवासी डंगावद तहसील दीगोद जिला कोटा।
3. रामनिवास पुत्र श्री हेमराज जाति धाकड निवासी डंगावद तहसील दीगोद जिला कोटा।
4. गिर्राज पुत्र श्री हेमराज जाति धाकड निवासी डंगावद तहसील दीगोद जिला कोटा।
5. महावीर पुत्र श्री हेमराज जाति धाकड निवासी डंगावद तहसील दीगोद जिला कोटा।
6. प्रमोद पुत्र श्री हेमराज जाति धाकड निवासी डंगावद तहसील दीगोद जिला कोटा।
7. सोहनी बाई पुत्री श्री हेमराज जाति धाकड निवासी डंगावद तहसील दीगोद जिला कोटा।
8. बनासबाई पुत्री श्री हेमराज जाति धाकड निवासी डंगावद तहसील दीगोद जिला कोटा।
9. घींसी बाई बेवा श्री हेमराज जाति धाकड निवासी डंगावद तहसील दीगोद जिला कोटा (नाम तर्क) ।
10. रूकमणी बाई पत्नी श्री कालूलाल जाति धाकड निवासी डंगावद तहसील दीगोद जिला कोटा।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री भगवती बल्लभ शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 13.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2012 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम डंगावद तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 27 में कुल 07 किता की रकबा 4.70 हैक्टर एवं खाता संख्या 28 में कुल 05 किता की रकबा 7.36 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी एवं प्रतिवादी कम 1 लगायत 10 के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है जिसमें वादी व प्रतिवादी कम 2, 3 व नेनी बाई का 4/5 हिस्सा है तथा प्रतिवादी कम 4 लगायत 09 का 1/5 हिस्सा था किन्तु प्रतिवादी कम 04 ने अपने 1/35 हिस्से में से 1/2 हिस्से की भूमि को प्रतिवादी कम 10 को बेचान कर दी है इस कारण प्रतिवादी कम 10 का 1/70 हिस्सा है । इस प्रकार नेनी बाई की मृत्यु के बाद उक्त भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा बनता है किन्तु प्रतिवादिनी कम 02 ने मौखिक रूप से अपना हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में छोड दिया है । इस प्रकार वादी उक्त भूमि में से 1/3 हिस्से का खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है । मौके पर प्रतिवादिनी कम 02 का कोई कब्जा नहीं है । वादी अपने 1/3 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है परन्तु प्रतिवादीगण वादी के हिस्से के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत करने पर आमादा रहते हैं । वादी को वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन कराने का अधिकार प्राप्त है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड से नेनी बाई व प्रतिवादिनी कम 02 का नाम डिलीट किया जावे । वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन किया जाकर वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर वादी के 1/3 हिस्से की भूमि को वादी के पृथक खाते दर्ज किया जावे तथा पृथक लगान कायम किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी उसके कब्जे काश्त की 1/3 हिस्से की भूमि में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी कम 1, 2 व 10 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06.072012 के द्वारा वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2012 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों खातों में पक्षकारान की माता नेनीबाई की मृत्यु के बाद समस्त भूमि का 1/4 –1/4 हिस्सा कर बंटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी जो तथ्यों के विपरीत है । खाता संख्या 28 में वादी अपीलान्ट के पिता रामचन्द्र जी के 1/2 हिस्सें में पक्षकारों के 1/4 –1/4 हिस्से की डिक्री होनी चाहिए थी तथा शेष 1/2 हिस्से में वादी अपीलान्ट एवं प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कम 1 एवं मृतक भाई हेमराज के वारिस रेस्पोडेन्ट कम 3 लगायत 10 के पक्ष में डिक्री पारित की जानी चाहिए थी । अधीनस्थ न्यायालय ने तीनों भाईयों के हिस्से में रेस्पोडेन्ट कम 02 का भी हिस्सा जोड दिया जो काबिल संशोधनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने खाता

संख्या 27 के खसरा नम्बर 155 रकबा 0.33 हैक्टर में तीनों भाई अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 एवं रेस्पोडेन्ट कम 3 लगायत 10 के बराबर–बराबर 0.11 हैक्टर में मकानात बने हुए हैं जिन्हें प्राथमिक डिक्री में अलग से अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं दर्शाया है जिसमें इकजाई 1/4 – 1/4 की डिक्री पारित कर दी जो संशोधनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.07.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.09.2012 को हुई और नकल प्राप्त करने के बाद प्रार्थी बीमार हो गया और अपने वकील साहब से सम्पर्क नहीं कर सका था । प्रार्थी ने वकील साहब से सम्पर्क कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादी अपीलान्ट के पिता रामचन्द्र के खाते में खाता संख्या 27 में कुल 07 किता की 4.70 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा और रेस्पोडेन्ट कम 1, 2 व मृतक हेमराज के वारिस रेस्पोडेन्ट कम 3 लगायत 10 का 1/4 हिस्सा है । इसके अलावा खाता संख्या 28 में कुल 05 किता की 7.36 हैक्टर आराजी स्थित है जिसमें उनके पिता रामचन्द्र का 1/2 हिस्सा और शेष 1/2 हिस्से में वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 और मृतक हेमराज का बराबर–बराबर हिस्सा निहित है । पिता की मृत्यु हो जाने पर दोनों खातों का नामान्तरकरण संख्या 47 तस्दीक किया गया परन्तु 05 किता की 7.36 हैक्टर आराजी में वारिसों का 1/4 – 1/4 हिस्सा दर्ज किया जो त्रुटिपूर्ण है । प्रारम्भिक डिक्री रिकॉर्ड के विपरीत पारित की गई है । 05 किता की 7.36 हैक्टर आराजी में रामचन्द्र के हिस्से की 1/2 आराजी में पक्षकारों का 1/4 –1/4 हिस्सा होना चाहिए और शेष 1/2 वादी अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट कम 01 और मृतक भाई हेमराज के वारिसों को मिलनी चाहिए इस अनुसार प्रारम्भिक डिक्री में संशोधन किया जावे । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अपीलान्ट के द्वारा अपील में कुछ दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियॉ पेश की गई हैं जिनमें नामान्तरकरण संख्या 47 की प्रति पेश की है जिसमें खाता संख्या 32 और 33 की आराजी रामचन्द्र की मृत्यु हो जाने पर उनके वारिसों के नाम दर्ज होने के आदेश दिये हैं । नकल

जमाबन्दी संवत् 2060–63 पेश की है जिसमें खाता संख्या 29 की यह आराजी रामचन्द्र पुत्र घांसी के खाते में दर्ज है और खाता संख्या 30 की आराजी रामचन्द्र पुत्र घांसी, मूलचन्द, हेमराज और कालू के खाते में दर्ज है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2064–67 प्रदर्श–पी –1 संलग्न है जिसमें नया खाता संख्या 32 में कुल 07 किता की 4.70 हैक्टर आराजी है जो मूलचन्द, कालू लाल पुत्र भोली बाई पुत्री नेनी बाई बेवा रामचन्द्र हिस्सा 4/5, रामनिवास, गिर्राज, महावीर, प्रमोद पुत्र सोहनी बाई, बनास बाई पुत्रियॉ व घींसी बाई बेवा हेमराज हिस्सा 1/5 हिस्से के खातेदार दर्ज हैं । नकल जमाबन्दी संवत् 2064–67 प्रदर्श– पी – 2 संलग्न है जिसमें खाता संख्या 28 में कुल 05 किता की 7.36 हैक्टर आराजी मूलचन्द, कालू पुत्र भोली बाई पुत्री नेनी बाई बेवा रामचन्द्र, रामनिवास, गिर्राज, प्रमोद पुत्र सोहन बाई, बनास बाई पुत्रियॉ पुत्रियॉ घींसी बाई बेवा हेमराज के नाम दर्ज है ।

13. अपीलान्ट ने अपील में जो दस्तावेज पेश किये हैं वो परीक्षण न्यायालय में पेश नहीं किये गये हैं । ऐसी स्थिति में हम न्यायहित में उचित समझते हैं कि अपीलान्ट ने अपील में दस्तावेजात की जो प्रमाणित प्रतियॉ पेश की हैं वो परीक्षण न्यायालय में पेश करें और परीक्षण न्यायालय इन दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में विधि सम्मत रूप से नये सिरे से निर्णय पारित करें । इसके रिबटल में रेस्पोडेन्ट कोई दस्तावेजात पेश करना चाहे तो वो भी परीक्षण न्यायालय में पेश कर सकते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा–निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट के द्वारा अपील में जो दस्तावेज पेश किये हैं वो परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत करें और रेस्पोडेन्ट यदि रिबटल में यदि कोई दस्तावेजात पेश करना चाहें तो उन्हें दस्तावेजात पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 31.08.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 13.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा